Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **डीडवाना–कुचामन में न्यायालय का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 25 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *16 नवम्बर, गुरूवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर स्पेशल यूनिट–अजमेर इकाई द्वारा आज बोरावड़, पुलिस थाना मकराना में कार्यवाही करते हुये सरवर खां कायमखानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, न्यायालय ए.डी.जे., डीडवाना, जिला डीडवाना–कुचामन को परिवादी से **25 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (कार्यवाहक महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की स्पेशल यूनिट–अजमेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके भाई के विरूद्ध सुनवाई में चल रहे कोर्ट केस में बरी का फैसला करवाने की एवज में सरवर खां कायमखानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, न्यायालय ए.डी. जे., डीडवाना, जिला डीडवाना–कुचामन द्वारा **50 हजार रुपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, अजमेर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री रणधीर सिंह** के सुपरवीजन में एसीबी स्पेशल यूनिट–अजमेर इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री राकेश कुमार वर्मा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनके द्वारा मय टीम के बोरावड़, पुलिस थाना मकराना में ट्रेप कार्यवाही करते हुये सरवर खां कायमखानी पुत्र श्री अल्लादीन निवासी भोमिया का बास, छोटी छापरी, पुलिस थाना डीडवाना, जिला डीडवाना–कुचामन हाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, न्यायालय ए.डी.जे., डीडवाना, जिला डीडवाना–कुचामन को परिवादी से **25 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी कार्मिक द्वारा शिकायत से पूर्व ही परिवादी से **25 हजार रुपये** रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री रणधीर सिंह के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (कार्यवाहक महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।